

अन्तिम डिक्री मूल वाद पत्र  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:- 371/2021

1. कृष्णलाल पुत्र सुरजाराम | जाति नायक साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा
2. दोलतराम पुत्र धन्नाराम | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

--- वादीगण

**:-बनाम:-**

1. कमला पत्नि पृथ्वीराज जाति नायक साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. ममता पुत्री पृथ्वीराज पत्नि सुरेशकुमार जाति नायक साकिन मान्झूबास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगागनर राजस्थान।
3. सरिता पुत्री पृथ्वीराज पत्नि कुलदीप जाति नायक साकिन धोलीपल तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सन्दीप पुत्र पृथ्वीराज जाति नायक साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. कालूराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. श्योपतराम पि. धन्नाराम | जाति नायक साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा
7. देवीलाल | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. चेताराम (फौत) नाम कलमजन
9. सरस्वती देवी पत्नि देवीलाल जाति नायक साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. मनीराम पुत्र चुनीराम जाति नायक साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. रूड़ाराम पुत्र तुलछीदेवी जाति नायक साकिन धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
12. राजकुमार पुत्र देवीलाल जाति नायक साकिन कान्हेवाला (खारा चक) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
14. जमना पत्नि चेताराम | जाति नायक साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा
15. राजकुमार पुत्र चेताराम | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
16. मनीराम पुत्र चेताराम
17. रोशनी पुत्री चेताराम
18. शिमला पुत्री चेताराम



**दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन**

वादीगण की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता, इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा


समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वाद में तहसील पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक 09 दिनांक 10.01.2025 के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है:-

चक 29 जे आर के खाता सं. 9/28 का प.नं. 4/242 मु.नं. 16 कि.न. नं. 21/0.127 हैक्ट. व प.नं. 4/243 मु.न. 24 किला नं. 1 ता 5 की 1.265 हैक्ट. कुल 1.392 हैक्ट. नहरी मय गैर मु. खाला रास्ता में वादी नं. 1 व 2 व प्रतिवादी नं. 5 ता 7 को 5/6 हिस्सा ब.हि.ब. बराबर व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को 1/6 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन कर रकम राज अलग कायम की जावे।

प्रतिवादीगण जमना, मनीराम पुत्र चुनीराम, मनीराम पुत्र चेताराम, राजकुमार पुत्र देवीलाल, राजकुमार पुत्र चेताराम, रोशनी, शिमला, सरस्वती को इसी चक के प.नं. 4/242 किला नं. 20/0.253, 21/0.126, 22/0.253, 23/2/0.169, 24/1/0.105, 25/1/0.228, 25/2/0.25 हैक्ट. कुल 1.159 हैक्ट. नहरी मय गै.मु. रास्ता हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में यथावत रखा जावे।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी बरानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 29/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)  
उपस्थान्त अधिकारी एवम्  
आदेश सहायक कलेक्टर  
पीलीबंगा